जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 04.03.2023

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 लीटर कच्ची व 01 लीटर अपमिश्रित शराब बरामदः-

आज दिनांक 04.03.2023 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त जावेद पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है जिसके कब्जे से अवैध 05 लीटर कच्ची व 01 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास जावेद उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 68/16 धारा 392/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 74/16 धारा 392 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 104/20 धारा 60 आब0 अधि0, मु0अ0सं0 268/16 धारा 174ए भादवि थाना कांधला शामली।

सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा/वीमेन पावर लाईन-1090 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा महिला सुरक्षा/वीमेन पावर लाईन-1090 के प्रचार वाहन को पुलिस लाईन शामली से हरी झंडी दिखाकर जनपद में जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु रवाना किया गयाः-

आज दिनांक 04.03.2023 को सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा/वीमेन पावर लाईन-1090 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा महिला सुरक्षा/वीमेन पावर लाईन-1090 के प्रचार वाहन को पुलिस लाईन शामली से हरी झंडी दिखाकर जनपद में जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु रवाना किया गया। महिला सुरक्षा/वीमेन पावर लाईन-1090 के प्रचार वाहन थाना कोतवाली शामली के ग्राम लिलोन, थाना झिंझाना के कस्बा ऊन डीएवी इण्टर कॉलेज, थाना थानाभवन के ग्राम कादरगढ, थाना कैराना के किलागेट चौकी बनखण्डी मन्दिर व थाना कांधला के राजकीय इण्टर कॉलेज कांधला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के अलावा क्षेत्राधिकारी नगर श्री विजेन्द्र सिंह भडाना, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन शामली श्री हरमीत सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती निधि चौधरी, प्रभारी महिला सैल श्रीमती सीमा देवी एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में भारत में बिना वीजा प्रवेश करना तथा जाली दस्तावेज को असली दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2019 में अभियुक्त अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब निवासी आनेगान थाना क्याकता जिला क्याकता रखैन अराकान म्यामार के विरुद्ध मु0अ0सं0 299/2019 धारा 420,467,468,469 भादवि के अन्तर्गत थाना थानाभवन जनपद शामली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2023 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त अब्दुल मजीद को धारा 14 विदेशी अधिनियम (भारत में बिना वीजा प्रवेश करना) में 03 वर्ष साधारण कारावास व 5000 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 45 दिवस अतिरिक्त कारावास तथा धारा 420, 467,468 भादवि (धोखाधड़ी कर जाली दस्तावेज का प्रयोग करना) में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 5000-5000 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 45-45 दिवस का अतिरिक्त कारावास व धारा 471 भादवि (जाली दस्तावेज का प्रयोग करना) में 01 वर्ष साधारण कारावास व 3000 रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 30 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब निवासी आनेगान थाना क्याकता जिला क्याकता रखैन अराकान (म्यामार)